कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्री शिवशंकर प्रजापति, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रजवास शेरसिंह जिला दौसा का स्थानान्तरण राउमावि गौगरूड, कोटडा जिला उदयपुर किया गया था जिसके विरूद्ध शिवशंकर प्रजापति द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 537/2021 शिवशंकर प्रजापति बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई ।

अपील संख्या 537/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.2021 द्वारा अपीलार्थी शिव शंकर प्रजापति को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में 15 दिवस की अवधि में सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार 15 दिवस के भीतर एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने एवं ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को प्रदान किये जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के न्यूरल फोरामिन रोग से ग्रस्त होने एवं अपनी विकट शारीरिक एवं पारिवारिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपना पदस्थापन राउमावि चोड़ा गांव, सपोटरा जिला करौली/राउमावि झाड़िया, टोड़ाभीम जिला करौली/राउमावि टोड़ाभीम जिला करौली अथवा राउमावि फलोदी, खण्डार जिला सवाईमाधोपुर में प्रधानाचार्य के किसी रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी की प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों एवं विकट शारीरिक दशाओं को दृष्टिगत रखते हुए उनके अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उनका समायोजन राउमावि टोडाभीम जिला करौली में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/शिवशंकर/537/2021/180 दिनांक: 10.03.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/उदयपुर/भरतपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, दौसा/उदयपुर/करौली।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक दौसा/उदयपुर/करौली।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री शिवशंकर प्रजापति, प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)